कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, धौलपुर

क्रमांकः– DoIT/2017/775-81 दिनांकः– 27/07/2017

वाहन हेतु निविदा

कार्यालय उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, धौलपुर में जिला मुख्यालय पर वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु As and When Required Basis पर एक वाहन (मय टैक्सी परमिट) मय ड्राईवर किराए पर लिया जाना है। वाहन का उपयोग प्रतिमाह अधिकतम 750 कि.मी. तक व अधिकतम भुगतान राशि रु 10,000/– प्रतिमाह रहेगी। इस हेतु इच्छुक निविदादाताओं से न्यूनतम दरों सहित लिफाफे में सीलबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा निम्न शर्तो के अधीन रहेगी :–

निविदादाताओं से सीलबंद कोटेशन दिनांक 28/07/2017 से दिनांक 03/08/2017 तक कार्यालय समय शाम 6 बजे तक स्वीकार की जावेंगीं व दिनांक 04/08/2017 को मध्यान्ह पूर्व 11 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगीं।

1. निविदादाता आवश्यक रुप से एक सादा कागज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता हेतु आवेदन लिख कर अपनी न्यूनतम दर हस्ताक्षर कर लिफाफे के अंदर संलग्न करें। साथ ही अन्य आवश्यक कागज यथा ड्राईविंग लाईसेंस, वाहन बीमा, रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न करें। लिफाफे पर " वाहन हेतु निविदा" एवं अपना नाम, पता व मोबाईल नंबर अनिवार्य रुप से अंकित करें।
2. उक्त अधिकतम देय राशि में वाहन का ईंधन खर्च, मैंटीनेंस इत्यादि शामिल हैं। अन्य किसी प्रकार का भत्ता वाहन मालिक/ चालक को देय नहीं होगा।
3. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
4. आवश्यकता होने पर अवकाश दिवस में भी वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में बाजार मूल्य पर वाहन लगाया जावेगा एवं खर्च को वाहन उपलब्धकर्ता को देय राशि से वसूल किया जावेगा।
5. वाहन मालिक/कोटेशनदाता द्वारा राशि रु 500/– के स्टांप पेपर पर कार्यालय द्वारा अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध के पश्चात ही कार्यादेश लागू माना जावेगा।
6. वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार का नशा एवं अनुचित आचरण नहीं किया जावेगा। वाहन चालक को दोषी पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित है।
7. ड्राईवर द्वारा लॉग बुक संधारण कर प्रत्येक यात्रा का विवरण दर्ज किया जावेगा।
8. यदि वाहन टैक्सी परमिट न हो तो इस आशय का चालान राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति अनुबंध से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
9. किसी भी शर्त में अस्पष्टता/विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के नियमानुसार पालन किया जावेगा।
10. इस कार्यालय के पास किसी भी समय उक्त अनुबन्ध की शर्तों को बदलने/अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. इस हेतु वेबसाईट dholpur.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर जानकारी देखी जा सकती है।

Ssingh

उपनिदेशक (ए0सी0पी),
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,धौलपुर

क्रमांकः– DoIT/2017/775-81 दिनांकः– 27/07/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला कलक्ट्रेट/जिला परिषद/तहसील/जिला कोषागार।
4. प्रोग्रामर धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपउ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. स्टोर शाखा को जिला वेबसाईट dholpur.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
6. लेखा शाखा को sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

Ssingh

उपनिदेशक (ए0सी0पी),
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,धौलपुर

Phone: 05642-221044 Email: dlo.doit.dholpur@rajasthan.gov.in
Website:http//www.dholpur.rajasthan.gov.in